रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14122024-259414
SG-DL-E-14122024-259414

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 292
No. 41]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/AGRAHAYANA 22, 1946	[N. C. T. D. No. 292

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2024

सं. 105/नियम/ डीएचसी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसे इस सन्दर्भ में समर्थ बनाने वाले अन्य समस्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29.11.2024 को हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के संकल्प के अनुसरण में, माननीय मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश(गण) तथा पूर्व न्यायाधीश(गण) हेतु घरेलू सहायक नियम, 2017' में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करते हैं:

संशोधन

निम्नलिखित नियम को विद्यमान नियम 4(v) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

(v) 'घरेलू सहायक' या 'परिचारक' से तात्पर्य उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश अथवा उनके जीवनसाथी को उच्च न्यायालय के खर्च पर दी जाने वाली सहायक की सुविधा से है।

निम्नलिखित नियम को विद्यमान नियम 4(v) के बाद निम्न प्रकार से शामिल किया जाएगा:—

(vi) 'चालक' से तात्पर्य है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश अथवा उनके जीवनसाथी तथा दोनों की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रित माता-पिता, यदि कोई हों, को उच्च न्यायालय के खर्च पर, सेवानिवृत्ति पर या उसके बाद, वाहन चलाने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी की सुविधा।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

5. योग्यता:

उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की सेवाएं ग्रहण के हकदार होंगे, यदि:

(क) किसी अन्य नियम के अंतर्गत किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, को किसी अन्य न्यायालय द्वारा किन्हीं अन्य नियमों के अंतर्गत घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही हो; एवं

(ख) उस कार्यालय या पद, जिस पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्ति हुई हो, पर घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की कोई सुविधा न हो।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:

6. घरेलू सहायक, परिचारक और चालक का चयन

पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, अपने विवेक से घरेलू सहायक, परिचारक या चालक के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करेंगे; अथवा वैकल्पिक रूप से, पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, इन नियमों के अनुपालन के अध्यधीन, मुख्य न्यायाधीश से उच्च न्यायालय की स्थापना से किसी कर्मचारी को पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश के साथ कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं तथा मुख्य न्यायाधीश, ऐसे अनुरोध के अनुसार, उच्च न्यायालय की स्थापना से किसी कर्मचारी को पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश के साथ कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

7. संविदात्मक नियुक्ति

नियम 6 के अंतर्गत घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की नियुक्ति संविदात्मक आधार पर होगी तथा तब तक उपलब्ध होगी जब तक कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश नियम 5 के अंतर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा जब तक घरेलू सहायक, परिचारक और चालक पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश के प्रमाणन के अध्यधीन संतोषजनक कार्य करता है। इन नियमों के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू सहायक, परिचारक और चालक का नियोजन उच्च न्यायालय के साथ संविदात्मक नियोजन में होगा तथा वह सेवा के नियमितीकरण या नियमित आधार पर समायोजन का दावा करने का पात्र नहीं होगा, भले ही वह व्यक्ति किसी भी अवधि तक काम करता रहे।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

8. प्रतिपूर्ति

पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश द्वारा घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की नियुक्ति की दशा में, एवं यदि ऐसा घरेलू सहायक, परिचारक और चालक उच्च न्यायालय का संविदात्मक कर्मचारी नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति पर घरेलू सहायक, परिचारक और चालक को देय मासिक वेतन की प्रतिपूर्ति पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, को प्रत्येक माह के अंत में उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

9. वेतन

उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू सहायक को देय वेतन, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू सहायक की नियुक्ति हेतु पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश को प्रतिपूरित किया जाने वाला वेतन चपरासी की श्रेणी में उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या इसके समतुल्य के न्यूनतम वेतनमान (अर्थात मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) में देय वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि, जैसी भी लागू हो, के समतुल्य होगा।

उच्च न्यायालय द्वारा चालक को देय वेतन या चालक की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश को प्रतिपूरित किया जाने वाला वेतन उच्च न्यायालय में चालक को देय वेतन के समतुल्य होगा।

उच्च न्यायालय द्वारा परिचारक को देय वेतन, अथवा परिचारक की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश को प्रतिपूरित किया जाने वाला वेतन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के (श्रम) आयुक्त कार्यालय द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन दर के अनुसार होगा।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

10. पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, एक या अधिक घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की सेवाएं ले सकते हैं, किन्तु उच्च न्यायालय, नियम 9 में विहित दर के अनुसार, केवल एक ही घरेलू सहायक, परिचारक और चालक को देय वेतन के समतुल्य वेतन का ही भुगतान/प्रतिपूर्ति करेगा।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

11. निरंतरता

पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश द्वारा नियुक्त घरेलू सहायक, परिचारक और चालक तब तक संविदात्मक आधार पर कार्य करता रहेगा, जब तक वह संतोषजनक सेवा देता/देती है, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12. जीवनसाथी

उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश को उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, के जीवित जीवनसाथी को उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर उनके जीवन पर्यंत प्रदान की जाएगी।

बशर्ते उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश और उनके जीवनसाथी के निधन की दशा में, उनके आश्रित माता-पिता, यदि कोई हों, को भी चालक की सुविधा प्रदान की जाएगी।

निम्नलिखित नियम विद्यमान नियम 12 के बाद इस प्रकार से शामिल किया जाएगा:-

12 (क). घरेलू सहायक, परिचारक और चालक की सेवा लेने पर, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 28.11.2016 के अनुसार दिए जाने वाले भत्ते के हकदार नहीं होंगे, जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 9558-9559/2010 से उत्पन्न दीवानी अपील सं. 4248-4249/2014 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2014 के अनुपालन में इस न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश(गण) एवं न्यायाधीश(गण) द्वारा किसी अर्दली/चालक आदि की सेवाओं पर होने वाले व्यय की भरपाई के लिए एक भत्ता स्थापित किया गया था और उक्त भत्ता उपरोक्त सुविधा में उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी: यह संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश से,

कंवलजीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2024

No. 105/Rules/DHC .—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other provisions enabling it in this behalf, pursuant to the resolution of Full Court of the High Court of Delhi held on 29.11.2024, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to makes the following amendments in 'Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of the Delhi High Court Rules, 2017':-

AMENDMENTS

The following rule shall be substituted for the existing rule 4(v):-

(v) 'Domestic Help' **or 'Attendant'** means the assistance of a helper to be provided to a former Chief Justice or a former Judge of the High Court, or to his or her spouse at the expense of the High Court.

The following rule shall be inserted after existing rule 4(v) in the following manner:-

(vi) 'Chauffeur' means the assistance of a personnel to be provided to a former Chief Justice or a former Judge of the High Court, or to his or her spouse and in case of death of both, to their dependant parents, if any, engaged on or after retirement to drive the vehicle, at the expense of the High Court.

The following rule shall be substituted for the existing rule 5:-

5. Eligibility

A former Chief Justice or a former Judge of the High Court shall be entitled to avail of the services of a Domestic Help, Attendant and Chauffeur, if:

(a) The facility of a Domestic Help, **Attendant and Chauffeur** under any other rules is not being provided to the former Chief Justice or, as the case may be, former Judge by any other High Court; and

(b) No facility of a Domestic Help, **Attendant and Chauffeur** is attached to the office or post to which the former Chief Justice or former Judge is appointed after retirement.

The following rule shall be substituted for the existing rule 6:-

6. Selection of Domestic Help**, Attendant and Chauffeur**

The former Chief Justice or, as the case may be, former Judge may at her or his discretion select a person to be engaged as a Domestic Help, Attendant and Chauffeur; Or, in the alternative, the former Chief Justice or former Judge, subject to compliance of these Rules, may request the Chief Justice to depute an employee from the establishment of the High Court to work with the former Chief Justice or former Judge and the Chief Justice can as per such request depute the employee on the establishment of the High Court to work with the former Chief Justice or former Judge.

The following rule shall be substituted for the existing rule 7:-

7. Contractual appointment

The engagement of a Domestic Help, **Attendant and Chauffeur** under Rule 6 shall be on a contractual basis and will be available until the former Chief Justice or former Judge is entitled to the benefit of the facility under Rule 5 and until the Domestic Help, **Attendant and Chauffeur** performs duties satisfactorily subject to the certification of the former Chief Justice or former Judge. The Domestic Help, **Attendant and Chauffeur**, employed under these Rules by the High Court, will be on contractual employment with the High Court **and shall not be entitled to claim regularization of service or absorption on regular basis even though such appointee may continue to work for any period.**

The following rule shall be substituted for the existing rule 8:-

8. Reimbursement

In case of appointment of the domestic help, Attendant and Chauffeur by the former Chief Justice or former Judge, and if such domestic help, Attendant and Chauffeur is not a contractual employee of the High Court, then, upon such engagement, the monthly remuneration payable to the Domestic Help, Attendant and Chauffeur shall be reimbursed by the High Court to the former Chief Justice or former Judge, as the case may be, at the end of every month.

The following rule shall be substituted for the existing rule 9:-

9. Wages

The wages which would be payable to the domestic help by the High Court, or to be reimbursed by the High Court to the former Chief Justice or former Judge for the engagement of a Domestic Help shall be equivalent to the salary payable to a Class-IV employee of the High Court in the grade of a peon or equivalent at the minimum of the scale of pay (i.e., Basic Pay and Dearness Allowance) and yearly increment as applicable.

The wages which would be payable to the Chauffeur by the High Court, or to be reimbursed by the High Court to the former Chief Justice or former Judge for the engagement of a Chauffeur shall be equivalent to the salary payable to a Chauffeur in the High Court.

The wages which would be payable to the Attendant by the High Court, or to be reimbursed by the High Court to the former Chief Justice or former Judge for the engagement of an Attendant shall be the minimum rate of wages fixed by Office of the Commissioner (Labour), Government of NCT of Delhi from time to time for an unskilled worker.

The following rule shall be substituted for the existing rule 10:-

10. The former Chief Justice or, as the case may be, former Judge may engage the services of one or more Domestic Help, **Attendant and Chauffeur**, but the High Court shall reimburse/pay wages equivalent only to what is payable for one Domestic Help, **Attendant and Chauffeur** at the rate prescribed in Rule 9.

The following rule shall be substituted for the existing rule 11:-

11. Continuance

The Domestic Help, Attendant and Chauffeur engaged by a former Chief Justice or former Judge shall continue to remain on a contractual basis so long as he or she renders satisfactory service, as certified by the former Chief Justice or former Judge, as the case may be.

The following rule shall be substituted for the existing rule 12:

12. Spouses

The facility which is extended under the aforesaid provisions to a former Chief Justice or former Judge of the High Court shall be provided on the same terms and conditions to the surviving spouse of a former Chief Justice or former Judge, as the case may be, during the lifetime of the spouse.

Provided that the Chauffeur would also be provided in case of death of former Chief Justice or former Judge of the High Court and their spouses to their dependent parents, if any.

The following rule shall be inserted after existing rule 12 in the following manner:-

12A. On availment of service of Domestic Help, Attendant and Chauffeur, the former Chief Justice or former Judges of the High Court shall not be entitled to the allowance in terms of letter dated 28.11.2016 received from Department Of Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi, whereby an allowance was instituted to defray the expenses incurred on services of any Orderly/Driver etc. by retired Hon'ble Chief Justices and Judges of this Court in compliance of Hon'ble Supreme Court of India order dated 31.03.2014 passed in Civil Appeal No. 4248-4249/2014 arising out of SLP(Civil) No. 9558-9559/2010 and the said allowance be utilized in the aforesaid facility.

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order,

KANWALJEET ARORA, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.14 16:40:58 +05'30'